



# मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या:टीएस-सीसीटीएनएस-81/2012(II)  
सेवा में,

दिनांक:लखनऊ:जुलाई 30, 2014

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:-सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत जनपदों के थानों में अधिष्ठापित 5 के0वी0ए0 किलोस्कर जेनरेटर सेट के संचालन विषयक निर्देश ।

जैसा कि आप अवगत है कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों को प्राप्त होने वाले 5 के0वी0ए0 किलोस्कर जेनरेटर सेट की डिलीवरी आपके थानों के लिए कर दी गयी है। फाउन्डेशन ले-आउट तथा धनराशि प्रति थाना रूपया 10,000-00 दस हजार मात्र निर्धारित कर बजट प्राविधानित कर बजट आपको उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत थानों को प्राप्त 5 के0वी0ए0 किलोस्कर जेनरेटर सेट निर्धारित सर्विस मानकों के अनुसार 50 घण्टे के उपयोग की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम सर्विस के बाद ही उपयोग किया जाना OEM अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित है। अतः उक्त का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(सन्दीप सालुन्के)

पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ।
- 2.समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन उत्तर प्रदेश।
- 3.समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र ।
- 4.श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सिस्टम इन्टीग्रेटर (एस0आई0)मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, 8वाँ तल, टीसी 34/वी-2, साइवर टॉवर,विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 को उनके पत्रांक NTL/UPCCTNS/2014718\_1 दिनांक 18.07.2014 के क्रम में।
- 5.श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेट प्रोजेक्ट मोनीटरिंग यूनिट (E&Y, SPMU) जवाहर भवन लखनऊ।
- 6.प्रभारी वेबसाइट को अपलोड किये जाने हेतु।